माननीय जी. आर. मजीठिया, जे. . - के समक्ष

एच. ओ. कौशिक. -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, -उत्तरदाता।

Civil Writ Petition No. 3407 of 1988.

28 मई 1991

पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1970- सेवानिवृत्ति लाभों पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति का प्रभाव- सेवानिवृत्ति लाभों को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि उस व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जानी है- सेवानिवृत्ति व्यक्ति ऐसे लाभों का हकदार ।

अभिनिर्धारित किया गया कि पेंशन एक इनाम नहीं है, बल्कि कानून के अनुसार एक अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने से इनकार नहीं कर सकता था कि वह उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का इरादा रखता है। वह सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता को सेवा से हटा या बर्खास्त कर सकता है। आम तौर पर सेवा से हटाने या बर्खास्तगी का तात्पर्य यह है कि अधिकारी/अधिकारी को किसी तरह से दोष के योग्य या कम माना जाता है, यानी कि वह दोषी

है या क्षमता या कर्तव्य का निर्वहन करने की इच्छा नहीं रखता है जैसा कि उसे करना चाहिए। बर्खास्तगी या निष्कासन एक सजा है और इसे दंड के रूप में लगाया जाता है। इस दंड में पहले से अर्जित लाभ का नुकसान शामिल है। एक अधिकारी जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होता है, वह अपने अर्जित लाभ का कोई भी हिस्सा नहीं खोता है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर, वह पेंशन आदि का हकदार होगा जो उसने वास्तव में अर्जित किया है। अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में आरोप का ऐसा कोई तत्व नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 को याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभ जारी करना चाहिए था। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप उसे मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं करने की प्रतिवादी संख्या 1 की कार्रवाई को कायम नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा 5)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका यह प्रार्थना करती है कि यह माननीय न्यायालय :—

(1) ***एक रिट, परमादेश या निर्देश जारी करें जो परमादेश की प्रकृति का हो और अन्यथा, प्रतिवादी पर इसके लिए -***

(a) ***नियत तिथि से याचिकाकर्ता को एक्स. ई. एन. का चयन ग्रेड जारी करना;***

(b) ***उसकी अनिवार्य प्रतीक्षा की दो अवधियों के संबंध में उचित निर्णय;***

(c) ***एस. ई. के रूप में उसकी पदोन्नति पर याचिकाकर्ता के वेतन का सही निर्धारण और उस श्रेणी में उसे तीन वार्षिक वृद्धि का अनुदान;***

(d) *कानून के अनुसार याचिकाकर्ता को स्वीकार्य पेंशन/ग्रेच्युटी की सही दर का निर्धारण;*

(e) *याचिकाकर्ता को छुट्टी नकदीकरण का लाभ प्रदान करना;*

(f) *उस पर देय ब्याज सहित उसकी जी. पी. निधि ए/सी का निपटान;*

(g) इस प्रकार याचिकाकर्ता *को* पेंशन *(इसके* कम्यूटेड *मूल्य* सहित) *और* ग्रेच्युटी *के* उसके सेवानिवृत्त होने के *बकाया सहित भुगतान करने योग्य पाए जाने पर 1 में से 3* द्वारा *जारी करना।*

(2) *उपर्युक्त निर्देशों से सभी परिणामी लाभों को प्रवाहित करने की अनुमति देने के लिए प्रतिवादी को एक समान रिट आदेश या निर्देश जारी करना, और साथ ही याचिकाकर्ता को उसके कानूनी बकाया के विलंबित भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति करने के लिए दंडात्मक ब्याज देने* के लिए, *15 प्रतिशत प्रति वर्ष की बाजार दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि;*

(3) *कोई अन्य राहत प्रदान करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों*

में उचित और उचित समझे;

(4) *दस्तावेजों की मूल/प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने में छूट प्रदान करें, जिनकी* सही *प्रतियां पी/1' से 'पी/15 संलग्न की गई हैं; और*

(5) *याचिकाकर्ता के पक्ष* में *रिट याचिका का खर्च निर्दिष्ट करें।*

सिविल प्रक्रिया संहिता की *धारा 151 के तहत आवेदन में अनुरोध किया गया है कि पक्षों के बीच न्याय के हित में, संलग्न शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर रखने के लिए आवश्यक अनुमति दी जा सकती है।*

उपरोक्त आवेदन के समर्थन में किसी शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है।

C. Misc. No. 1987 of 1989

सिविल संहिता की धारा 151 के तहत आवेदन *यह प्रार्थना करती है कि रिट याचिका के अंतिम निपटारे तक, प्रतिवादी को एक अंतरिम आदेश के माध्यम से, कम से कम आवेदक* की *अस्थायी पेंशन जारी करने का निर्देश दिया जा सकता है ताकि वह कुछ कर सके।आवेदक का शपथ पत्र इसके साथ संलग्न है।*

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमर विवेक के साथ *अधिवक्ता* के. के. जगिया।

प्रतिवादी की ओर से *ए. जी. हरियाणा, अधिवक्ता रामेश्वर मलिक।*

निर्णय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने इस अदालत से प्रतिवादी को उन्हें सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य बकाया जारी करने का आदेश देने की मांग की है।

(2) तथ्यः—

याचिकाकर्ता 5 नवंबर, 1956 को पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के सिंचाई विभाग में एक अस्थायी अभियंता के रूप में शामिल हुए। पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के पुनर्गठन पर, याचिकाकर्ता की सेवाएं प्रतिवादी नं. 1 को दी गई; कि उनकी सहायक अभियंता (एच. एस. ई. II) के रूप में पुष्टि की गई और 14 नवंबर, 1969 को कार्यकारी अभियंता (एच. एस. ई. I) के रूप में और 28 अक्टूबर, 1981 को अधीक्षण अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया; कि वे 22 जनवरी 1985 को सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्त हो गए थे; कि उन्होंने इस न्यायालय में सिविल रिट Civil Writ Petition No. 396 of 1985 के माध्यम से इस आदेश को चुनौती दी, जिसे 19 जुलाई, 1985

को खारिज कर दिया गया *था;* कि- ज्ञापन सं. 23/2/84-3IE, दिनांक 23 जनवरी, 1986, सरकार, हरियाणा, सिंचाई और बिजली विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा जारी किया गया, उन्हें सूचित किया गया कि प्रतिवादी नं. 1 ने सिविल सेवा नियम, खंड के नियम 2.2 (बी) के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई आदेश का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के साथ संलग्न आरोपों के बयान में दिए गए आधार पर कहा कि उन्होंने 2 जून, 1986 को आरोप पत्र का जवाब दाखिल किया और जांच अधिकारी को 9 मार्च, 1990 को नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने जांच के साथ आगे नहीं बढ़े हैं।

(3) लिखित बयान में प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा है कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभ जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने खिलाफ वसूली के मामलों को अंतिम रूप देने के लिए विभाग के साथ सहयोग नहीं किया है।

(4) प्रतिवादी का दृष्टिकोण अवैध है और एक बार जब किसी अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया जाता है, तो यह उम्मीद की जाती है कि बिना किसी और चीज के अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश उन मामलों के संबंध में सभी लंबित या विचारित कार्यवाही को छोड़ने या बंद करने के बाद एक स्पष्ट निर्णय होगा जो विचलन के लिए *पृष्ठभूमि* का उद्देश्य बनाते हैं।याचिकाकर्ता को 2 जून 1986 के ज्ञापन के माध्यम से सूचित किए गए आरोपों का बयान यह इंगित करते है कि याचिकाकर्ता से मांगी गई वसूली वर्ष 1982 से संबंधित आरोप पर आधारित है।प्रतिवादी संख्या 1 ने समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश देने से पहले याचिकाकर्ता के खिलाफ नियमित जांच शुरू करना उचित नहीं समझा।यदि आरोपों में कोई सार होता, तो प्रतिवादी संख्या 1 के लिए यह उचित होता कि वह याचिकाकर्ता के खिलाफ उचित आरोप पत्र तैयार करे और अभिनिर्धारित करे।प्रतिवादी संख्या 1 के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ उचित आरोप-पत्र तैयार करना और जांच करना उचित होता।हो सकता है कि उसे बरी कर दिया जाता।यदि दोषी पाया जाता, तो पंजाब सिविल सेवा (सजा और अपील) नियम, 1970 के तहत कोई भी बड़ी सजा दी जा सकती थी।प्रतिवादी संख्या 1 ने संभवतः सबूतों के अभाव में जांच के साथ आगे बढ़ना उचित नहीं समझा।याचिकाकर्ता की समयपूर्व सेवानिवृत्ति का आदेश देने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा।प्रतिवादी संख्या 1 ने एक बार याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय लेने के बाद, उसे उसके खिलाफ सभी लंबित या विचाराधीन कार्यवाही को हटा देना चाहिए था।अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश

से कोई कलंक नहीं बनता है और जनहित में वैधानिक नियमों के तहत सिविल सेवकों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देने का प्रतिवादी संख्या 1 का अधिकार चुनौती से परे है।अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देने का निर्णय लेने के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 के लिए याचिकाकर्ता को आरोप-पत्र जारी करने के लिए आगे बढ़ना उचित नहीं था।आरोप-पत्र 23 जनवरी, 1986 को जारी किया गया था; आरोप-पत्र का जवाब याचिकाकर्ता द्वारा 2 जून, 1986 को दायर किया गया था और लगभग चार साल के अंतराल के बाद 9 मार्च, 1990 को जांच अधिकारी की नियुक्ति की गई थी।जाँच अधिकारी ने अभी तक जाँच आगे नहीं बढ़ाई है।इन परिस्थितियों में, यह न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा यदि प्रतिवादी जांच कार्यवाही को छोड़ देता है।इसे तदनुसार आदेश दिया जाता है।मेरे इस निष्कर्ष का समर्थन *इलाहाबाद उच्च न्यायालय* की *एक खण्ड पीठ* ने **महेश चंद जिंदल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** [1] मामले में किया है, जिसमें पीठ ने इस प्रकार निर्णय दियाः—

> "अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देने की शक्ति आनंद सिद्धांत का एक पहलू है।यदि ईमानदारी से *प्रयोग किया* जाए तो इसके विरुद्ध कोई न्यायिक चुनौती संभव नहीं है।एक सरकारी कर्मचारी को न्यूनतम सेवा अवधि सुनिश्चित की जाती है जिसके उपरांत अधिकारी उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति का निर्देश दे सकते

[1] 1983 (2) S.L.R. 382

हैं।अपने आप में इसमें कोई कलंक नहीं है और इसे दंडात्मक प्रकृति का नहीं माना जाता है।हालाँकि, जब भी किसी अधिकारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने का निर्णय लिया जाता है, तो यह उम्मीद की जाती है कि निर्णय के लिए पृष्ठभूमि बनाने वाले मामलों के संबंध में बिना किसी कार्यवाही के अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देना एक स्पष्ट निर्णय होगा।उसे पूर्ण आनुपातिक पेंशन दी जानी चाहिए ताकि पहले से दी गई अपनी सेवा की अवधि के संबंध में उसने जो भी पेंशन अर्जित की है, वह उसे पूरी तरह से दी जाए।यदि एक साथ पैरा 470 (बी) के तहत केवल कम की गई पेंशन को मंजूरी देने के लिए कोई कार्रवाई की जानी है, तो यह अनिवार्य सेवानिवृत्ति का एक स्पष्ट आदेश नहीं कहा जा सकता है।यह केवल अनिवार्य सेवानिवृत्ति सरलीकरण का आदेश देने का निर्णय है जिसमें न तो कोई कलंक है और न ही पेंशन लाभों का कोई नुकसान है और न ही किसी दंडात्मक विभागीय कार्यवाही की शुरुआत के साथ जोड़ा गया है जिसे एक अधिकारी को न्यूनतम निर्धारित अवधि से अधिक बनाए रखने के लिए सरकार की खुशी का वैध अभ्यास माना जा सकता है ।XXX XXX XXX "

(5) पेंशन कोई इनाम नहीं है, बल्कि कानून के अनुसार एक अधिकार है जिसे रद्द किया जा सकता है।प्रतिवादी संख्या-1 याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर सेवानिवृत्ति लाभ जारी

करने से इनकार नहीं कर सकता था कि वह उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का इरादा रखता है।प्रतिवादी संख्या 1 सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता को सेवा से हटा या बर्खास्त कर सकता है।आम तौर पर सेवा से हटाने या बर्खास्तगी का तात्पर्य है कि अधिकारी को किसी तरह से दोष के योग्य या कम माना जाता है।कि वह दोषी है या क्षमता या कर्तव्य का निर्वहन, जैसा कि उसे करना चाहिए, करने की इच्छाशक्ति नहीं है ।बर्खास्तगी या निष्कासन एक सजा है और इसे दंड के रूप में लगाया जाता है।इसमें पहले से अर्जित लाभ का नुकसान शामिल है।एक अधिकारी जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होता है, वह अपने अर्जित लाभ का कोई भी हिस्सा नहीं खोता है।अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर, वह पेंशन आदि का हकदार होगा, जो उसने वास्तव में अर्जित किया है।अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में प्रभार या आरोप का ऐसा कोई तत्व नहीं है।प्रतिवादी नंबर 1 को याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभ जारी करना चाहिए था।ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप उसे मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।प्रतिवादी संख्या 1 की कार्रवाई को कायम नहीं रखा जा सकता है।याचिकाकर्ता ने चयन ग्रेड जारी करने का भी दावा किया है, जिसे कार्यकारी अभियंता के रूप में काम करते समय उनके लिए अवैध रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।उन्होंने यह भी आग्रह किया कि अधीक्षण अभियंता के रूप में उनकी पदोन्नति पर उनका वेतन सही ढंग से निर्धारित नहीं किया गया था।उन्होंने यह भी दावा किया है कि उन्हें 5 फरवरी, 1980 से 27 अक्टूबर 1980 और 29 दिसंबर, 1981 से 3 मार्च 1982 तक अनिवार्य प्रतीक्षा में रखा गया था और इन अंतरालों के लिए वेतन

का भुगतान नहीं किया गया था। प्रतिवादी द्वारा दावे का खंडन किया गया है। देर से किए गए इस दावे को रिट अधिकार क्षेत्र में नहीं लिया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 1 का कर्तव्य है कि वह उसे सेवानिवृत्ति लाभों के नियमों के अनुसार छुट्टी नकदीकरण और उपदान जारी करने का लाभ प्रदान करे।

उपरोक्त कारणों से, रिट याचिका सफल होती है और आंशिक रूप से इसकी अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता को दिया गया आरोप-पत्र रद्द कर दिया जाता है। जांच अधिकारी द्वारा आरोप-पत्र के संदर्भ में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी । प्रतिवादी, संख्या 1 इस निर्णय की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभों को मंजूरी देगा जिसमें विफल रहने पर इसे 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ जारी किया जाएगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

विनीत कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

झज्जर, हरियाणा